

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डींग्स, 2 गवर्नमेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता-700 001.

का.आ.सं. प्रशा.-I/एन.एफ.यू./परिवीक्षक/24-25/138

दिनांक.06.02.2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय पत्र संख्या.01-स्टाफ (नियुक्ति)/पीसी सेल/02-2017 दिनांक 8 फरवरी 2021 के शर्तों के अनुसार निम्नलिखित परिवीक्षक को सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 9 पर उनके पास दिए गए तिथि से गैर-कार्यात्मक उन्नयन की अनुमति दी जाती है:

नाम एवं पदनाम	परिवीक्षक संवर्ग में पदोन्नति तिथि	एन.एफ.यू. प्राप्त करने की योग्यता की तिथि	पदस्थापित कार्यालय
श्री कामता प्रसाद साव, परिवीक्षक	01.01.2021	01.01.2025	प्र.महा. (ले.प-I), प.बं

निम्नलिखित शर्तें एवं नियम लागू:

1. एफ.आर.-22 (आई) (ए) (1) के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग एन.एफ.यू. के अनुदान की तिथि या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारित करने हेतु एक महीने के भीतर किया जा सकता है।
2. एन.एफ.यू. को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) के तहत वित्तीय उन्नयन हेतु माना जाएगा। एम.ए.सी.पी. के तहत आगामी वित्तीय उन्नयन, यदि कोई हो तो, इसकी गणना एन.एफ.यू. के अनुदान की तिथि से की जाएगी।
3. एन.एफ.यू. के अनुदान के बाद वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण, अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत स्वीकार्य वेतन और भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. इस कार्यालय आदेश द्वारा विस्तारित एन.एफ.यू. के तहत वित्तीय उन्नयन के लाभ की समीक्षा मुख्यालय से स्पर्धीकरण/आदेश/निर्देश प्राप्त होने के पश्चात की जा सकती है।

प्राधिकार:फाइल सं.प्रशा.1/एन.एफ.यू./परिवीक्षक/24-25

में रखा गया प्र.महा के दिनांक 31.01.2025 का आदेश।

प्रति प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 700001 के सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700064 के सचिव.
3. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I एवं प्रशा.)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-II)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-III)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) सचिवालय
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.2 / प्रशा.3 / प्रशा.4 / प्रशा.5 / ए.एम.जी.-I (मुख्यालय) / ए.एम.जी.-II (मुख्यालय) / ए.एम.जी.-III-(गैर-एल.ए.डी.) / ए.एम.जी.-IV-मुख्यालय/ एफ.ए.डब्लू. / प्रतिवेदन / आई.टी.ए. / ई.सी.पी.ए. / डी.ए.एस.)
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)
6. संबंधित व्यक्ति
7. कार्यालयीन वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ई.डी.पी. अनुभाग
8. सूचना पट्ट

उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्र. घोष 06/02/25
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)